दून वैली ऑफिसर्स को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि.
वसंत विहार, देहरादून

सदस्यता हेतु प्रार्थना पत्र एवं घोषणा पत्र

मैं .... (कृपया पूरा नाम लिखे) पुत्र/पुत्री/ पत्नी ....(कृपया पूरा नाम लिखे) व्यवसाय ....पूरा पत्ता...वसंत विहार, देहरादून का/की हूँ, मैं उक्त सहकारी आवास समिति का सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ तथा सदस्यता के पात्र होने के समय निम्न घोषणा करता/करती हूँ|

१. मेरी आयु ....वर्ष है| मैं स्वस्थ चित्त व सचरित्र व्यक्ति हूँ|

२. मैं समिति के कार्य क्षेत्र में रहता/रहती हूँ/रहने का इच्छुक हूँ|

३. मैं केन्द्रीय/राज्य सरकार का प्रथम श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी/भूतपूर्व राजपत्रित अधिकारी हूँ, जिसका विभागाध्यक्ष द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र या अन्य साक्ष्य संलग्न है|

४. मेरे परिवार में निम्न सदस्य है –

(क) नाम ....सम्बन्ध.................................. उम्र ....

(ख) नाम ....सम्बन्ध.................................. उम्र ....

(ग) नाम ....सम्बन्ध.................................. उम्र ....

(घ) नाम ....सम्बन्ध.................................. उम्र ....

(ङ) नाम ....सम्बन्ध.................................. उम्र ....

५. समिति के जनपद के किसी शहरी क्षेत्र की सीमा के अन्दर मेरा अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है|

६. मैं जनपद के किसी शहरी क्षेत्र या अन्य किसी आवास समिति का/की सदस्य नहीं हूँ और सिवाय नियम ४३ के अधीन किसी अन्य आवास समिति का/की सदस्य नहीं बनूंगा/बनूंगी|

७. मैं समिति की वर्तमान उपविधियों तथा उनमें किये गये किसी ऐसे परिष्कार, परिवर्तन व संशोधन को मानने के लिए बाध्य रहूँगा/रहूँगी जो मेरी सदस्यता की अवधि में विधिवत किये जायेंगे| मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उपविधियों के अन्तर्गत प्रबंध कमेटी द्वारा बनाये गये विनियमों तथा दिये गये निर्देशों से आबद्ध रहूँगा/रहूँगी|

८. मैं समिति की लिखित अनुमति के बिना, अपनी भूमि या भवन को किराये पर नहीं उठाउंगा/उठाउंगी और न ही उसका हस्तांतरण विक्रय/बंधक द्वारा अन्य किसी प्रकार करूंगा/करूंगी| साथ ही यह भी घोषित करता/करती हूँ की अपने उपरोक्त भवन का प्रयोग किसी दुकान या गोदाम के रूप में अथवा किसी व्यापार के लिए नहीं करूंगा/करूंगी|

९. मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी जो समिति के हितों के विरूद्ध हो या समिति के किसी विधिवत पारित संकल्प के विरूद्ध हो|

१०. मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ, कि उपरोक्त घोषणा में से कोई तथ्य असत्य पाये जाने या उसका उल्लंघन किये जाने पर मैं अधिनियम, नियमावली या समिति की उपविधि में निर्धारित अन्य किसी कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबंध कमेटी द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड का भागी होउंगा/होउंगी या संपत्ति की बिक्री को रद्द कर दिया जाएगा या पट्टे पर दी गई संपत्ति को सोसायटी द्वारा फिर से वापिस ले लिया जाएगा।

११. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि भूखंड की डीड मेरे पक्ष में होने तथा भवन का मानचित्र स्वीकृति होने के उपरान्त मैं तीन माह की अवधि के अन्दर भवन निर्माण का कार्य आरम्भ कर लूंगा| यदि मेरे द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो समिति को पूरा अधिकार होगा कि वह मेरे भूखंड/न्यूनतम आवासीय भवन को जब्त कर ले य समिति मुझ पर मासिक/वार्षिक वित्तीय दण्ड निर्धारित कर इसकी वसूली करे|

१२. मैं अपने प्लाट एवं भवन निर्माण के दौरान भूतल का निर्माण नहीं कराऊँगा/कराऊँगी एवं भवन निर्माण तीन (3) मंजिल से अधिक का नहीं होगा |

१३ मेरे आधार कार्ड की Self Attested फोटो कापी संलग्न है |

दिनांक ....

हस्ताक्षर सदस्य ....

साक्षी

१. हस्ताक्षर ....

नाम व पता –

साक्षी

२. हस्ताक्षर ....

नाम व पता –

टिप्पणी : यह १०० रूपए के स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित किया जाय|